भाग– ।

क

न्यायालय – अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–02, किशनगढ़, जिला अजमेर।		
पीठासीन अधिकारी	–	हेमलता भारती, आर.जे.एस.
नियमति फौजदारी प्रकरण संख्या	–	348/2014
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	–	194/2014 पुलिस थाना गांधीनगर
सी.आई.एस. संख्या	–	1847/2016
निर्णय दिनांक	–	28 मार्च, 2025

1	राजस्थान राज्य, जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी, किशनगढ़, जिला अजमेर (राज.)
	अभियोजन
	ब ना म
1	**भागचंद** पुत्र छोटूलाल, निवासी खण्डाच, पुलिस थाना बांदरसिंदरी, जिला अजमेर।
2	**रामसिंह** पुत्र श्री भगवान सिंह, कचनारिया, पुलिस थाना दूदू, जिला जयपुर। **(मफरूर दिनांक 27–01–2025)**
	अभियुक्तगण

अपराध अंतर्गत धारा 323/34, 354/34, 452, भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थित –			
1	राज्य की ओर से	–	अभियोजन अधिकारी, किशनगढ़।
2	अभियुक्त संख्या 1 की ओर से	–	अधिवक्ता श्री रूपेश शर्मा।

ख

घटना की दिनांक	27.06.2014
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	26.06.2014
चालान/नतीजा पेश करने की दिनांक	26.09.2014
आरोप की दिनांक	अभियुक्त भागचंद - 17.05.2016 अभियुक्त रामसिंह - 14-12-2016
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	17.05.2016
निर्णय सुरक्षित की दिनांक	28.03.2025
निर्णय दिनांक	28.03.2025
सजा आदेश, यदि हो तो	-

गु

अभियुक्त की सूचना

क्रं. स.	अभियुक्त का नाम	आत्मसमर्पण की दिनांक	जमानत की दिनांक	अपराध का अंतर्गत धारा	दोषमुक्त/ दोषसिद्ध	अधिरोपित सजा	धारा 428 दप्रस में समायोजन समयावधि
1	भागचंद	26.06.2014	30.06.2014	323, 354, 452, 34 भारतीय दण्ड संहिता	दोषमुक्त	–	–
2	रामसिंह	**मफरूर दिनांक 27–01–2025**					

भाग-2

अभियोजन/अभियुक्त/न्यायालय गवाह सूची

क - अभियोजन गवाह

क्रं. संख्या	नाम	साक्ष्य प्रकृति
पी.डब्ल्यू. 1	डॉ के के तनवानी	चिकित्सकीय साक्षी
पी.डब्ल्यू. 2	शंकर सिंह	मुख्य गवाह
पी.डब्ल्यू. 3	मांगुसिंह	मुख्य गवाह
पी.डब्ल्यू.4	प्रभु रेगर	मुख्य गवाह
पी.डब्ल्यू.5	ओमेन्द्र सिंह	मुख्य गवाह
पी.डब्ल्यू.6	चांद कंवर	मुख्य गवाह
पी.डब्ल्यू.7	गेंद कंवर	मुख्य गवाह
पी.डब्ल्यू.8	भंवानी सिंह	मुख्य गवाह
पी.डब्ल्यू 9	रतनलाल	फर्द गिरफ्तारी का गवाह
पी.डब्ल्यू 10	अरूण	फर्द गिरफ्तारी का गवाह

पी.डब्ल्यू 11	प्रभातीलाल	अनुसंधान अधिकारी

अभियेाजन/अभियुक्त/न्यायालय द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज सूची
क- अभियेाजन दस्तावेज सूची

क्रं. संख्या	प्रदर्श	विवरण
1	प्रदर्श पी 01 लगायत 04	मजरूबान की मेडीकल रिपोर्ट
2	प्रदर्श पी 05	तहरीरी रिपोर्ट
3	प्रदर्श पी 06	चाक एफ आइ आर
4	प्रदर्श पी 07	नक्शा मौका
5	प्रदर्श पी 08 व 09	फर्द गिरफतारी मुल्जिम भागचंद व रामसिंह

– :: <u>निर्णय</u> :: –

दिनांक ::– 28 मार्च, 2025

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादिया गेंद देवी ने पुलिस थाना गांधीनगर में उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 26–06–2014 को रात 10–00 बजे वह, उसका पति एवं बच्चे घर पर सो रहे थे तभी भागचंद गुर्जर व उसके साथ पांच छ अन्य साथी स्विफट कार मे बैठकर आए व उसके घर में घुसकर लाठियों व सरियों से उनके साथ मारपीट करने लग गए व उसके पहने हुए कपडे फाड दिए व हाथ की कंगन चूडी तोड दिए व छेडछाड करने लगा तब जोर–जोर से चिल्लाने पर आस पास के लोगों ने आकर बीच बचाव किया व बीच बचाव करते समय ओमेन्द्र के साथ भी मारपीट करने लग गए व मोबाइल व रूपये छीनकर ले गए तथा ओमेन्द्र की पत्नी के साथ भी मारपीट की तथा उसके भी कपड़े फाडा दिए।.....इत्यादि।
2. जिस पर थानाधिकारी पुलिस थाना गांधीनगर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट 194/2014 अंतर्गत धारा 323, 352, 354, 143, 379 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया तथा बाद अनुसंधान थानाधिकारी पुलिस थाना गांधीनगर की ओर से अभियुक्तगण भागचंद व रामसिंह के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 323,354,452,34 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया तथा न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओ में प्रसंज्ञान लिया गया तथा प्रकरण. दर्ज रजिस्टर फौजदारी नियमित किया गया।
3. अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओ आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।
4. दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से उक्त भाग 2 के अनुसार मौखिक

एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिनका ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

5. प्रकरण में अभियुक्त रामसिंह मफरूर है तथा यह निर्णय केवल अभियुक्त भागचंद के विरूद्ध निर्णित किया जा रहा है।

6. अभियुक्त के कथन अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्व किये गये, जिसमें अभियुक्त ने गवाहान के रंजिशवश झूठ बोलने एवं स्वयं को झूठा फंसाये जाने व स्वयं के निर्दोष होने,का कथन किया है तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं की

7. बहस अन्तिम उभय पक्षो की सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया तो न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि:–

'' क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 26.06.2014 को समय रात्रि करीब 10:00 बजे स्थान रामदेव कोलोनी स्थित परिवादिया के निवास स्थान में मारपीट करने के सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादिया श्रीमती गेंद कंवर व उसके परिवार के अन्य सदस्यों के साथ स्वेच्छया कुदाला से मारपीट कर उनके बदन पर साधारण उपहतियां कारित की, परिवादिया श्रीमती गेंद देवी की लज्ञा भंग करने के सामान्य आशय के अग्रसरण में उसके साथ आपराधिक बल का प्रयोग करते हुए उसकी लज्ञा भंग की, परिवादिया श्रीमती गेंद देवी के रिहायशी मकान में मारपीट करने की तैयारी के पश्चात गृह अतिचार किया।

यदि हॉ, तो अपराध हेतु समुचित दण्ड क्या होगा ?

8. बहस अन्तिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क रहा कि अभियुक्त ने किसी भी प्रकार की कोई मारपीट कारित नहीं की है तथा ना ही परिवादिया के साथ छेडछाड की है। प्रकरण में जो गवाह परीक्षित करवाए गए है, वे हितबद्व साक्षी है, जिनके बयानों में विरोधाभास है अतः अभियुक्त को उक्त आरोप के लिए दोषमुक्त घोषित किए जाने का निवेदन किया।

9. जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन गवाहों की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्व करार देकर कठोर दण्ड से दण्डित करने का निवेदन किया। अभियोजन अधिकारी द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत – **1. राजेन्द्र सिंह व अन्य बनाम मध्यप्रदेश राज्य (ए आइ आर 2011 एस सी 255) , 2. जया सिलम बनाम तमिलनाडु राज्य (ए आइ आर 2009 एस सी 1901), 3. धर्मेन्द्र सिंह बनाम गुजरात राज्य (2002) 4 एस सी सी** पेश किए जिनका ससम्मान अवलोकन किया गया।

10. उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के निस्तारण हेतु अभियोजन की ओर से कुल 11 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित करवाया गया है, जिनमें से गवाह **पी.डब्ल्यू.–1 डॉ के के तनवानी** जो कि प्रकरण का चिकित्सकीय साक्षी है, ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि मे दिनांक 26.01.14 को वाईएनएच किशनगढ मे एस एम ओ के पद पर कार्यरत था। उस दिन पीएस गांधीनगर के प्रतिवेदन पर मेने गेदं कवंर पत्नि शंकर सिंह, शंकर सिंह पुत्र करणसिह, ओमेन्द्रसिंह पुत्र हनुमानसिंह, भवानीसिंह पुत्र

शंकरसिंह की चोटो का मुआइन कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 01 लगायत 04 तैयार किये थे जिन पर ए से बी चोटो का विवरण, सी से डी मजरूब का पहचान चिन्ह व ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है। उक्त मजरूबो का मुआइना 11:40 पीएम, 11:35 पीएम, 11:30 पीएम एवं 11:45 पीएम पर मेरे द्वारा किया गया। मजरूबो सभी की एक एक चोटे साधारण प्रकृति की कुन्दाला से कारीत थी जिनकी अवधि 4–6 घण्टे के मध्य की थी।

11. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जिरह किये जाने पर गवाह कथन किया कि यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 1 लगायत 04 मे सभी चोटे गिरने पडने से आना संभव है।

12. अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाह **पी. डब्ल्यू – 2 शंकर सिंह,** जो कि प्रकरण का मजरूब है, अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 26.06.2014 को रात के दस बजे के आसपास हमारे घर की घटना है मैं तथा मेरी पत्नी , मेरे दो लडके ओर एक लडकी हम लोग सो रहे थे। हम हमारे मकान में वहां पर सो रहे थे जिसका गैट खुला था। उसी समय पांच–छः लोग जिनमें भागचंद गुर्जर, रामसिंह राजूपत, व उनके साथी स्विफट कार में बैठकर आए ओर हमारे घर में घुस गए। घुसते ही मेरे साथ मारपीट करने लगे। मेरी पत्नी के पहने हुए कपडे उन लोगो ने फाड दिए उस समय मेरी पत्नी ने राजपूती पौशाक कुर्ता, घाघरा, कांचली पहन रखी थी। मेरी पत्नी ने कांच की चूडिया पहन रखी थी वो लोग मेरी पत्नी के साथ छेडछाड करने लगे तब हम लोग जोर जोर से चिल्लाए तब वहां पर ओमेन्द्र सिंह, उसकी पत्नी चांद कंवर, प्रभुदयाल रेगर, नंदकिशोर प्रजापत व मांगु सिंह भी आए जिन्होने बीच बचाव कराया था। बीच बचाव कराते समय ओमेन्द्र के साथ भी इन लोगो ने मारपीट की। ओमेन्द्र सिंह का मोबाइल वहां पर गिर गया था। ओमेन्द्र सिंह की पत्नी चांद कंवर के साथ भी इन लोगो ने मारपीट की व कपडे फाड दिए। चांद कंवर के कान के टोप्स भी वहां पर गिर गए थे। मारपीट से मेरे सीधे हाथ में ओर पीठ पर लगी फिर कहा कि दोनो हाथो मे अंदरूनी चोटे आई थी। मेरी पत्नी के भी चूडिया तोड़ने से हाथो मे खून आने लग गया था। आस पडौसी हमें नही छुडाते तो यह लोग हमें जान से मार देते। फिर हम रात को ही करीब 11 बजे पुलिस थाने गए थे तो पुलिस ने पहले हमारा मेडीकल कराया था उसके बाद मैने व मेरी पत्नी ने थाने पर मुकदमा दर्ज कराने हेतु रिपोर्ट लिखवाई थी जो मेरे व मेरी पत्नी के कहे अनुसार पुलिस ने लिखी थी फिर उसको हमने पढ लिया था फिर मेरी पत्नी ने उस पर अगूंठा निशानी की थी। पत्रावली पर तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी 5 है। चाक एफ आई आर प्रदर्श पी 6 है जिन पर ए से बी मेरे साइन है। अगले दिन पुलिस वाले अधिकारी ने सुबह के करीब 6 बजे हमारे घर पर आकर नक्शा मौका घटना स्थल प्रदर्श पी 7 मेरे , मेरी पत्नी गेंद कंवर व ओमेन्द्र सिंह के सामने मौके पर बनाया था जिस पर ए से बी मेरे साइन है।

उसी दिन पुलिस ने थाने पर आरोपी भागचंद को मेरे व ओमेन्द्र सिंह के सामने जरिये फर्द प्रदर्श पी 8 गिरफतार किया था। फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 8 पर ए से बी मेरे साइन है।

अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जिरह किये जाने पर गवाह कथन करता है कि मैं मारपीट करने वाले मुलजिमान को पहले से नहीं जानता था। मैं आज नहीं बता सकता कि किन किन लोगों ने हम लोगों के वहा मारपीट की। यह बात सही है कि मैं अभियुक्त को सामने आने पर नहीं पहचान सकता। वहा पर कौन लोग बीचबचाव करने आए थे मैं नहीं बता सकता।

13. अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाह **पी. डब्ल्यू – 3 मांगुसिंह** ने अपने न्यायालय के समक्ष हुए बयानो में कथन किया है कि 26.06.2014 को रात के लगभग दस ग्यारह बजे की रामदेव कॉलोनी सरदार सिंह की ढाणी रोड की बात है। उस समय गर्मियो का समय था हम लेाग छत पर सो रहे थे। शंकर सिंह के मकान के अंदर की बात है। हमें शोर की आवाज आई। तब मैं और मेरे साथ प्रभु रेगर, चांद कंवर, ओमेन्द्र सिंह, नंदकिशोर प्रजापत शंकर जी के मकान की तरफ गए। भागचंद के साथ तीन चार व्यक्ति और थे, और कौन व्यक्ति थे उनके नाम मुझे पता नहीं है। यह सभी व्यक्ति शंकर सिंह जी व उनके परिवार के साथ मारपीट कर रहे थे। हमने वहा पर बीचबचाव किया जिसमें ओमेन्द्र सिंह जी के भी चोट लगी थी। शंकर सिंह जी की पत्नि के कपडे फटे हुए थे भागचंद व उसके साथ वालों ने कपडे फाडे थे। फिर यह व्यक्ति धमकी देकर भग गए। पुलिस ने मुझसे पूछताछ की थी व मेरे बयान लिए थे। भागचंद के अलावा और कौन था मैं उनके सामने आने पर उन्हें नहीं पहचान सकता क्योंकि काफी समय पहले की बात हो गई।

अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जिरह किये जाने पर गवाह कथन करता है कि आज से दस ग्यारह साल पहले की बात है। आज मुझे याद नही है कि क्या बात हुई थी। यह बात सही हे कि मैं किसी को नहीं पहचानता। अगर भागचंद मेरे सामने आज आ जाए तो मैं नहीं पहचान सकता। यह बात सही है कि मैं मौके पर झगडा होने के बाद पहुचा था।

14. अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाह **पी. डब्ल्यू – 4 प्रभु रेगर** अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि 26.06.2014 को रात के लगभग दस ग्यारह बजे की रामदेव कॉलोनी सरदार सिंह की ढाणी रोड की बात है। उस समय गर्मियो का समय था हम लेाग छत पर सो रहे थे। शंकर सिंह के मकान के अंदर की बात है। हमें शोर की आवाज आई। तब मैं और मेरे साथ मांगुसिंह, चांद कंवर, ओमेन्द्र सिंह, नंदकिशोर प्रजापत शंकर जी के मकान की तरफ गए। भागचंद के साथ तीन चार व्यक्ति और थे, और कौन व्यक्ति थे उनके नाम मुझे पता नहीं है। यह सभी व्यक्ति शंकर सिंह जी व उनके परिवार के साथ मारपीट कर रहे थे। हमने वहा पर बीचबचाव किया जिसमें ओमेन्द्र सिंह जी के भी चोट लगी थी। शंकर सिंह जी की पत्नि के

कपडे फटे हुए थे भागचंद व उसके साथ वालों ने कपडे फाडे थे। फिर यह व्यक्ति धमकी देकर भग गए। पुलिस ने मुझसे पूछताछ की थी व मेरे बयान लिए थे। भागचंद के अलावा और कौन था मैं उनके सामने आने पर उन्हें नहीं पहचान सकता क्योंकि काफी समय पहले की बात हो गई।

अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जिरह किये जाने पर गवाह कथन करता है कि मुझे घटना की कोई जानकारी नहीं है। क्या बात हुई मुझे नहीं पता। मैं भागचंद को नहीं जानता हूँ। मेरे थाने पर बयान नहीं हुए।

15. अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाह **पी. डब्ल्यू – 5 ओमेन्द्र सिंह** जो कि प्रकरण का मजरूब है, अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि 26.06.2014 को रात के लगभग दस ग्यारह बजे की रामदेव कॉलोनी सरदार सिंह की ढाणी रोड की बात है। उस समय गर्मियो का समय था हम लेाग छत पर सो रहे थे। शंकर सिंह के मकान के अंदर की बात है। हमें शोर की आवाज आई। तब मैं और मेरे साथ मांगुसिंह, चांद कंवर, प्रभु रेगर, नंदकिशोर प्रजापत शंकर जी के मकान की तरफ गए। भागचंद के साथ तीन चार व्यक्ति और थे, और कौन व्यक्ति थे उनके नाम मुझे पता नहीं है। यह सभी व्यक्ति शंकर सिंह जी व उनके परिवार के साथ मारपीट कर रहे थे। हमने वहा पर बीचबचाव किया जिसमें मेरे भी चोट आई थी। शंकर सिंह जी की पत्नि के कपडे फटे हुए थे भागचंद व उसके साथ वालों ने कपडे फाडे थे। फिर यह व्यक्ति धमकी देकर भग गए। भागचंद के अलावा और कौन था मैं उनके सामने आने पर उन्हें नहीं पहचान सकता क्योंकि काफी समय पहले की बात हो गई। पुलिस घटना स्थल का नक्शा दिनांक 27.06.2014 को 6.30 एएम पर रामदेव कॉलोनी सरदार सिंह की ढाणी की रोड पर बनाया था जो प्रदर्श पी 07 है जो मेरे व शंकर सिंह के सामने बनाया था जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस ने मेरा मेडिकल करवाया था जो प्रदर्श पी 03 है। फर्द गिरफ्तारी मुलजिम भागचंद प्रदर्श पी 08 है जिसे मेरे व शंकर सिंह के सामने दिनांक 27.01.2014 को थाना गांधीनगर पर गिरफ्तार किया था जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस ने मुझसे पूछताछ की थी व मेरे बयान लिए थे।

अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जिरह किये जाने पर गवाह कथन करता है कि मैं भागचंद को नहीं जानता। झगडे की आवाज सुनकर करीब दस पंद्रह मिनट बाद मौके पर पहुचा था। वहा गली में अंधेरा हो रखा था। गवाह ने कॉर्ट में चारों तरफ देखकर कहा कि मैं भागचंद को नहीं पहचान सकता इसलिए नहीं बता सकता कि वो हाजिर अदालत है या नहीं। प्रदर्श पी 07 में पुलिस ने क्या लिखा मुझे पता नहीं है। मैं कभी भी इस मुकदमें के संबंध में थाने पर नहीं गया।

16. अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाह **पी. डब्ल्यू – 6 चांद कंवर,** जो कि प्रकरण का चक्षुदर्शी साक्षी है, अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि 26.06.2014 को रात के लगभग दस ग्यारह बजे की रामदेव कॉलोनी सरदार सिंह

की ढाणी रोड की बात है। उस समय गर्मियो का समय था हम लोग छत पर सो रहे थे। शंकर सिंह के मकान के अंदर की बात है। हमें शोर की आवाज आई। तब मैं और मेरे साथ मांगुसिंह, प्रभु रेगर, और मेरे पति ओमेन्द्र सिंह, नंदकिशोर प्रजापत शंकर जी के मकान की तरफ गए। भागचंद के साथ तीन चार व्यक्ति और थे, और कौन व्यक्ति थे उनके नाम मुझे पता नहीं है। यह सभी व्यक्ति शंकर सिंह जी व उनके परिवार के साथ मारपीट कर रहे थे। हमने वहा पर बीचबचाव किया जिसमें मेरे पति के भी चोट लगी थी। शंकर सिंह जी की पत्नि के कपडे फटे हुए थे भागचंद व उसके साथ वालों ने कपडे फाडे थे। फिर यह व्यक्ति धमकी देकर भग गए। पुलिस ने मुझसे पूछताछ की थी व मेरे बयान लिए थे। भागचंद के अलावा और कौन था मैं उनके सामने आने पर उन्हें नहीं पहचान सकती क्योंकि काफी समय पहले की बात हो गई।

17. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जिरह किये जाने पर गवाह कथन करता है कि मुझे झगडे के संबंध में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। मैंने कुछ नहीं देखा मैं भागचंद को नहीं जानती हूॅ, ना ही पहचानती हूॅ। यह बात सही है कि मैंने पुलिस को कभी कोई बयान नहीं दिए।

18. अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाह **पी. डब्ल्यू – 7 गेंद कंवर** जो कि हस्तगत प्रकरण की परिवादिया है, अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि 26.06.2014 को रात के लगभग दस ग्यारह बजे की रामदेव कॉलोनी सरदार सिंह की ढाणी रोड की बात है। उस समय गर्मियो का समय था हम लोग घर के अंदर सो रहे थे। हमारे मकान के अंदर की बात है। मेरे पति शंकर सिंह के साथ भागचंद और तीन चार व्यक्ति थे, और कौन व्यक्ति थे उनके नाम मुझे पता नहीं है। यह सभी व्यक्ति मेरे पति व मेरे परिवार के साथ मारपीट कर रहे थे। इन्होंने मेरे कपडे फाडे थे। भागचंद व उसके साथ वालों ने कपडे फाडे थे। ओमेन्द्र, प्रभु रेगर, मांगुसिंह, चांद कंवर ने बीचबचाव कराया। बीचबचाव में ओमेन्द्र सिंह जी के26.06.2014 को रात के लगभग दस ग्यारह बजे की रामदेव कॉलोनी सरदार सिंह की ढाणी रोड की बात है। उस समय गर्मियो का समय था हम लोग छत पर सो रहे थे। शंकर सिंह के मकान के अंदर की बात है। हमें शोर की आवाज आई। तब मैं और मेरे साथ मांगुसिंह, प्रभु रेगर, और मेरे पति ओमेन्द्र सिंह, नंदकिशोर प्रजापत शंकर जी के मकान की तरफ गए। भागचंद के साथ तीन चार व्यक्ति और थे, और कौन व्यक्ति थे उनके नाम मुझे पता नहीं है। यह सभी व्यक्ति शंकर सिंह जी व उनके परिवार के साथ मारपीट कर रहे थे। हमने वहा पर बीचबचाव किया जिसमें मेरे पति के भी चोट लगी थी। शंकर सिंह जी की पत्नि के कपडे फटे हुए थे भागचंद व उसके साथ वालों ने कपडे फाडे थे। फिर यह व्यक्ति धमकी देकर भग गए। पुलिस ने मुझसे पूछताछ की थी व मेरे बयान लिए थे। भागचंद के अलावा और कौन था मैं उनके सामने आने पर उन्हें नहीं पहचान सकती क्योंकि काफी समय पहले की बात हो गई। चोट आई थी। फिर भागचंद वगैरह धमकी देकर भाग गए। भागचंद के अलावा और कौन था मैं उनके

सामने आने पर उन्हें नहीं पहचान सकती क्योंकि काफी समय पहले की बात हो गई। उक्त घटना की रिपॉर्ट मैंने दर्ज कराई थी जो प्रदर्श पी 05 है जिस पर एक्स स्थान पर मेरी अंगुठा निशानी है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 06 है जिस पर एक्स स्थान पर मेरी अंगुठा निशानी है। पुलिस ने घटना स्थल का नक्शा मेरे व शंकर सिंह, ओमेन्द्र सिंह के समक्ष बनाया था जो प्रदर्श पी 07 है जिस पर एक्स स्थान पर मेरी अंगुठा निशानी है। नक्शा पुलिस ने घटना स्थल पर ही बनाया था थाने पर नहीं बनाया था। पुलिस ने मुझसे पूछताछ की थी व मेरे बयान लिए थे।

19. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जिरह किये जाने पर गवाह कथन करता है कि मुझे झगडे की कोई जानकारी नहीं है ना ही मैंन केाई झगडा देखा। मैं किसी भागचंद को नहीं जानती हूँ, ना ही पहचानती हूँ। यह कहना सही है कि पुलिस ने मुझसे कभी केाई पूछताछ की और ना ही मेरे बयान लिए।

20. अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाह **पी. डब्ल्यू – 8 भंवानी सिंह**, जों कि हस्तगत प्रकरण का आहत है, अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि 26.06.2014 को रात के लगभग दस ग्यारह बजे की रामदेव कॉलोनी सरदार सिंह की ढाणी रोड की बात है। उस समय गर्मियो का समय था हम लेाग घर के अंदर सो रहे थे। हमारे मकान के अंदर की बात है। मेरे पिता शंकर सिंह के साथ भागचंद और तीन चार व्यक्ति थे, और कौन व्यक्ति थे उनके नाम मुझे पता नहीं है। यह सभी व्यक्ति मेरे पिता व मेरे परिवार के साथ मारपीट कर रहे थे। इन्हेांने मेरी माताजी गेंद कंवर के कपडे फाडे थे। भागचंद व उसके साथ वालों ने कपडे फाडे थे। इन्होंने मेरे साथ भी मारपीट की थी। पुलिस ने मेडिकल करवाया था जो प्रदर्श पी 04 है मेरे अंगुली व कोहनी पर लगी थी। ओमेन्द्र, प्रभु रेगर, मांगुसिंह, चांद कंवर ने बीचबचाव कराया। बीचबचाव में ओमेन्द्र सिंह जी के चोट आई थी। फिर भागचंद वगैरह धमकी देकर भाग गए। भागचंद के अलावा और कौन था मैं उनके सामने आने पर उन्हें नहीं पहचान सकता क्योंकि काफी समय पहले की बात हो गई। उक्त घटना की रिपॉर्ट मेरी माताजी ने दर्ज कराई थी। पुलिस ने मुझसे पूछताछ की थी व मेरे बयान लिए थे।

21. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जिरह किये जाने पर गवाह कथन करता है कि मुझे घटना के बार में केाई जानकारी नहीं है। मैं मौके पर नहीं था। मैं भागचंद को नहीं जानता हूँ। मेरे थाने पर कोई बयान नहीं हुए थे।

22. अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाह **पी. डब्ल्यू – 9 रतनलाल व पी.डब्ल्यू 10 अरूण** ने न्यायालय के समक्ष हुए अपने बयानों में कथन किया है कि वे दिनांक 05.07.2014 को थाना गांधीनगर पर कानि के पद पर कार्यरत थे। उस दिन उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी प्रभाती लाल एएसआई ने मुलजिम रामसिंह को उनके सामने थाने पर गिरफ्तार किया था। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 09 है जिस पर उनके हस्ताक्षर है।

23. अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाह **पी. डब्ल्यू – 11 प्रभातीलाल,** जो कि

हस्तगत प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है, ने न्यायालय के समक्ष हुए अपने बयानों में कथन किया है कि दिनांक 27.06.2014 में पुलिस थाना मधार पर पद पर में कार्यरत था। उस दिन परिवादिया ने उपस्थित थाना होकर एक रिपॉर्ट पेश की थी जिस पर मुकदमा नम्बर 194/2014 अंतर्गत धारा 323,143,452,354,379 आईपीसी दर्ज होकर प्रकरण का अनुसंधान मेरे जिम्मे किया गया था। तहरीर रिपॉर्ट प्रदर्श पी 05 है जिस पर सी से डी प्रभुदयाल जी एसएचओ के हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर परिवादिया की अंगुठा निशानी है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 04 है जिस पर सी से डी प्रभुदयाल जी के हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान परिवादिया के निशादेही से समक्ष गवाहान शंकर सिह, ओमेन्द्र सिंह के घटना स्थल रामदेव कॉलोनी ढाणी रोड का नक्शा मौका मेरे द्वारा बनाया गया था जो प्रदर्श पी 07 है जिस पर ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान परिवादिया गेंद कंवर गवाहान शंकर सिह, चांद कंवर, नंदकिशोर, भवानी सिंह, मांगु सिह प्रभुदयाल के बयान मेरे द्वारा उनके कहेनुसार लेखबद्ध किए थे। मजरूबान का मेडिकल प्रदर्श पी 01 लगायत प्रदर्श पी 04 मेरे द्वारा लिए जाकर शामिल पत्रावली किया गया था। मुलजिम भागचंद को दिनांक 27.06.2014 को थाना गांधीनगर पर समक्ष गवाहान ओमेन्द्र सिंह, शंकर सिंह के मेरे द्वारा गिरफ्तार किया गया था जो प्रदर्श पी 08 है जिस पर ई से एफ मेरे व जी से एच आरोपी के हस्ताक्षर है। मुलजिम रामसिंह को दिनांक 05.07.2014 को थाना गांधीनगर पर समक्ष गवाहान रतन लाल, अरूण सिह के मेरे द्वारा गिरफ्तार किया गया था जो प्रदर्श पी 09 है जिस पर ई से एफ मेरे व जी से एच आरोपी के हस्ताक्षर है। बाद अनुसंधान मुलजिमान भागचंद, रामसिंह के विरूद्ध धारा 323,354,452,34 आईपीसी में अपराध प्रमाणित पाए जाने पर पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु थाना अधिकारी प्रभुदयाल जी को पेश की। जिन्होंने उक्त मुलजिमान के विरूद्ध उक्त धाराओं में माननीय न्यायालय में चालान पेश किया जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी प्रभुदयाल जी थाना अधिकारी के हस्ताक्षर है, उनके हस्ताक्षर मैं उनके अधिनस्थ होने से पहचानता हूँ।

24. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जिरह किये जाने पर गवाह कथन करता है कि यह कहना गलत है कि जांच के दौरान उसने गवाहान गेंद कंवर, शंकर सिंह, ओमेन्द्र सिंह, चांद कंवर, नंदकिशोर, भवानी सिंह, मांगुसिंह, प्रभुदयाल के बयान मन मर्जी से लिखे हो उन्होंने ऐसे कोई बयान नहीं दिए हो। यह कहना गलत है कि उसने गलत अनुसंधान करके मुल्जिम भागचंद को गलत तरीके से गिरफतार कर मुल्जिम बनाया हो। यह कहना गलत है कि वह आज झूठे बयान दे रहा हो।

25. विचारणीय बिन्दू के समर्थन में पत्रावली पर आयी साक्ष्य का समग्र रूप विवेचन किया जाय तो प्रकरण की महत्वपूर्ण गवाह पीडब्ल्यू 7 गेंद कंवर जो कि हस्तगत प्रकरण की परिवादिया/आहता है, ने न्यायालय के समक्ष हुए अपने बयानों में कथन किया है कि 26.06.2014 को रात के लगभग दस ग्यारह बजे की रामदेव

कॉलोनी सरदार सिंह की ढाणी रोड की बात है। उस समय गर्मियो का समय था हम लेाग घर के अंदर सो रहे थे। हमारे मकान के अंदर की बात है। मेरे पति शंकर सिंह के साथ भागचंद और तीन चार व्यक्ति थे, और कौन व्यक्ति थे उनके नाम मुझे पता नहीं है। यह सभी व्यक्ति मेरे पति व मेरे परिवार के साथ मारपीट कर रहे थे। इन्हेांने मेरे कपडे फाडे थे। भागचंद व उसके साथ वालों ने कपडे फाडे थे। ओमेन्द्र, प्रभु रेगर, मांगुसिंह, चांद कंवर ने बीचबचाव कराया। बीचबचाव में ओमेन्द्र सिंह जी के26.06.2014 को रात के लगभग दस ग्यारह बजे की रामदेव कॉलोनी सरदार सिंह की ढाणी रोड की बात है। उस समय गर्मियो का समय था हम लेाग छत पर सो रहे थे। शंकर सिंह के मकान के अंदर की बात है। हमें शोर की आवाज आई। तब मैं और मेरे साथ मांगुसिंह, प्रभु रेगर, और मेरे पति ओमेन्द्र सिंह, नंदकिशोर प्रजापत शंकर जी के मकान की तरफ गए। भागचंद के साथ तीन चार व्यक्ति और थे, और कौन व्यक्ति थे उनके नाम मुझे पता नहीं है। यह सभी व्यक्ति शंकर सिंह जी व उनके परिवार के साथ मारपीट कर रहे थे। हमने वहा पर बीचबचाव किया जिसमें मेरे पति के भी चोट लगी थी। शंकर सिंह जी की पत्नि के कपडे फटे हुए थे भागचंद व उसके साथ वालों ने कपडे फाडे थे। फिर यह व्यक्ति धमकी देकर भग गए। पुलिस ने मुझसे पूछताछ की थी व मेरे बयान लिए थे। भागचंद के अलावा और कौन था मैं उनके सामने आने पर उन्हें नहीं पहचान सकती क्योंकि काफी समय पहले की बात हो गई। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जिरह किये जाने पर गवाह कथन करता है कि उसे झगडे की कोई जानकारी नहीं है ना ही उसने कोई झगडा देखा। वह किसी भागचंद को नहीं जानती है, ना ही पहचानती है, यह कहना सही है कि पुलिस ने उससे कभी केाई पूछताछ की और ना ही उसके बयान लिए तथा प्रकरण की परिवादिया अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में अपने मुख्य परीक्षण में किए गए कथनों अडिग नहीं रही है एवं किसी भी प्रकार के झगडे की जानकारी नहीं होने का कथन करती है तथा भागचंद को पहचानने से इन्कार करती है।

26. प्रकरण का अन्य महत्वपूर्ण गवाह पीडब्ल्यू 2 शंकर सिंह जो कि हस्तगत प्रकरण की परिवादिया का पति/आहत है ने न्यायालय के समक्ष हुए अपने बयानों में कथन किया है कि दिनांक 26.06.2014 को रात के दस बजे के आसपास हमारे घर की घटना है मैं तथा मेरी पत्नी , मेरे दो लडके ओर एक लडकी हम लोग सो रहे थे। हम हमारे मकान में वहां पर सो रहे थे जिसका गैट खुला था। उसी समय पांच–छः लोग जिनमें भागचंद गुर्जर, रामसिंह राजूपत, व उनके साथी स्विफट कार में बैठकर आए ओर हमारे घर में घुस गए। घुसते ही मेरे साथ मारपीट करने लगे। मेरी पत्नी के पहने हुए कपडे उन लोगो ने फाड दिए उस समय मेरी पत्नी ने राजपूती पौशाक कुर्ता, घाघरा, कांचली पहन रखी थी। मेरी पत्नी ने कांच की चूडिया पहन रखी थी वो लोग मेरी पत्नी के साथ छेडछाड करने लगे तब हम लोग जोर जोर से चिल्लाए तब वहां पर ओमेन्द्र सिंह, उसकी पत्नी चांद कंवर, प्रभुदयाल रेगर, नंदकिशोर प्रजापत

व मांगु सिंह भी आए जिन्होने बीच बचाव कराया था। बीच बचाव कराते समय ओमेन्द्र के साथ भी इन लोगो ने मारपीट की। ओमेन्द्र सिंह का मोबाइल वहां पर गिर गया था। ओमेन्द्र सिंह की पत्नी चांद कंवर के साथ भी इन लोगो ने मारपीट की व कपडे फाड दिए। चांद कंवर के कान के टोप्स भी वहां पर गिर गए थे। मारपीट से मेरे सीधे हाथ में ओर पीठ पर लगी फिर कहा कि दोनो हाथो मे अंदरूनी चोटे आई थी। मेरी पत्नी के भी चूडिया तोड़ने से हाथो मे खून आने लग गया था। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जिरह किये जाने पर गवाह कथन करता है कि वह मारपीट करने वाले मुलजिमान को पहले से नहीं जानता था। वह आज नहीं बता सकता कि किन किन लोगों ने हम लोगों के वहा मारपीट की। यह बात सही है कि वह अभियुक्त को सामने आने पर नहीं पहचान सकता। वहा पर बीचबचाव करने कौन लोग आए थे वह नहीं बता सकता। अतः प्रकरण का उक्त महत्वपूर्ण गवाह भी अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में अपने मुख्य परीक्षण में किए गए कथनों अडिग नहीं रहा है। यह गवाह अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त भागचंद द्वारा मारपीट किये जाने, छेडछाड़ किये जाने का कथन तो करता है परन्तु जिरह में यह गवाह कथन करता है कि अभियुक्त के सामने आने पर नहीं पहचान सकता।

27. साथ ही प्रकरण का अन्य महत्वपूर्ण गवाह पीडब्ल्यू 3 मांगु सिंह, पीडब्ल्यू 4 प्रभु रेगर, जो कि हस्तगत प्रकरण के चक्षुदर्शी साक्षी है, न्यायालय के समक्ष हुए अपने बयानों में कथन करते है कि 26.06.2014 को रात के लगभग दस ग्यारह बजे की रामदेव कॉलोनी सरदार सिंह की ढाणी रोड की बात है। उस समय गर्मियो का समय था हम लोग छत पर सो रहे थे। शंकर सिंह के मकान के अंदर की बात है। हमें शोर की आवाज आई। तब मैं और मेरे साथ प्रभु रेगर, चांद कंवर, ओमेन्द्र सिंह, नंदकिशोर प्रजापत शंकर जी के मकान की तरफ गए। भागचंद के साथ तीन चार व्यक्ति और थे, और कौन व्यक्ति थे उनके नाम मुझे पता नहीं है। यह सभी व्यक्ति शंकर सिंह जी व उनके परिवार के साथ मारपीट कर रहे थे। हमने वहा पर बीचबचाव किया जिसमें ओमेन्द्र सिंह जी के भी चोट लगी थी। शंकर सिंह जी की पत्नि के कपडे फटे हुए थे भागचंद व उसके साथ वालों ने कपडे फाडे थे। फिर यह व्यक्ति धमकी देकर भग गए। पुलिस ने मुझसे पूछताछ की थी व मेरे बयान लिए थे। भागचंद के अलावा और कौन था मैं उनके सामने आने पर उन्हें नहीं पहचान सकता क्योंकि काफी समय पहले की बात हो गई। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जिरह किये जाने पर गवाह कथन करते है कि आज से दस ग्यारह साल पहले की बात है। आज उन्हें याद नही है कि क्या बात हुई थी। यह बात सही हे कि वह किसी को नहीं पहचानते। अगर भागचंद उनके सामने आज आ जाए तो वे नहीं पहचान सकते। यह बात सही है कि वह मौके पर झगडा होने के बाद पहुचें थे। अतः प्रकरण का उक्त दोनों ही महत्वपूर्ण गवाह भी अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में अपने मुख्य परीक्षण में किए गए कथनों अडिग नहीं रहे है तथा उक्त दोनों ही गवाहान की मुख्य परीक्षा अकाटय नहीं रही है।

28. साथ ही प्रकरण का अन्य महत्वपूर्ण गवाह पीडब्ल्यू 5 ओमेन्द्र सिंह, जो कि प्रकरण का मजरूब है, ने न्यायालय के समक्ष हुए अपने बयानों में कथन किया है कि26.06.2014 को रात के लगभग दस ग्यारह बजे की रामदेव कॉलोनी सरदार सिंह की ढाणी रोड की बात है। उस समय गर्मियो का समय था हम लेाग छत पर सो रहे थे। शंकर सिंह के मकान के अंदर की बात है। हमें शोर की आवाज आई। तब मैं और मेरे साथ मांगुसिंह, चांद कंवर, प्रभु रेगर, नंदकिशोर प्रजापत शंकर जी के मकान की तरफ गए। भागचंद के साथ तीन चार व्यक्ति और थे, और कौन व्यक्ति थे उनके नाम मुझे पता नहीं है। यह सभी व्यक्ति शंकर सिंह जी व उनके परिवार के साथ मारपीट कर रहे थे। हमने वहा पर बीचबचाव किया जिसमें मेरे भी चोट आई थी। शंकर सिंह जी की पत्नि के कपडे फटे हुए थे भागचंद व उसके साथ वालों ने कपडे फाडे थे। फिर यह व्यक्ति धमकी देकर भग गए। भागचंद के अलावा और कौन था मैं उनके सामने आने पर उन्हें नहीं पहचान सकता क्योंकि काफी समय पहले की बात हो गई। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जिरह किये जाने पर गवाह कथन करता है कि मैं भागचंद को नहीं जानता। झगडे की आवाज सुनकर करीब दस पंद्रह मिनट बाद मौके पर पहुचा था। वहा गली में अंधेरा हो रखा था। गवाह ने कॉर्ट में चारों तरफ देखकर कहा कि मैं भागचंद को नहीं पहचान सकता इसलिए नहीं बता सकता कि वो हाजिर अदालत है या नहीं। प्रदर्श पी 07 में पुलिस ने क्या लिखा मुझे पता नहीं है। अतः प्रकरण का उक्त महत्वपूर्ण गवाह भी अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में अपने मुख्य परीक्षण में किए गए कथनों अडिग नहीं रहा है तथा उक्त गवाह की मुख्य परीक्षा अकाटय नहीं रही है।

29. साथ ही प्रकरण का अन्य महत्वपूर्ण गवाह पीडब्ल्यू 6 चांद कंवर, जो कि प्रकरण की चक्षुदर्शी साक्षी है, ने न्यायालय के समक्ष हुए अपने बयानों में कथन किया है कि 26.06.2014 को रात के लगभग दस ग्यारह बजे की रामदेव कॉलोनी सरदार सिंह की ढाणी रोड की बात है। उस समय गर्मियो का समय था हम लेाग छत पर सो रहे थे। शंकर सिंह के मकान के अंदर की बात है। हमें शोर की आवाज आई। तब मैं और मेरे साथ मांगुसिंह, प्रभु रेगर, और मेरे पति ओमेन्द्र सिंह, नंदकिशोर प्रजापत शंकर जी के मकान की तरफ गए। भागचंद के साथ तीन चार व्यक्ति और थे, और कौन व्यक्ति थे उनके नाम मुझे पता नहीं है। यह सभी व्यक्ति शंकर सिंह जी व उनके परिवार के साथ मारपीट कर रहे थे। हमने वहा पर बीचबचाव किया जिसमें मेरे पति के भी चोट लगी थी। शंकर सिंह जी की पत्नि के कपडे फटे हुए थे भागचंद व उसके साथ वालों ने कपडे फाडे थे। फिर यह व्यक्ति धमकी देकर भग गए। पुलिस ने मुझसे पूछताछ की थी व मेरे बयान लिए थे। भागचंद के अलावा और कौन था मैं उनके सामने आने पर उन्हें नहीं पहचान सकती क्योंकि काफी समय पहले की बात हो गई। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जिरह किये जाने पर गवाह कथन करता है कि उसे झगडे के संबंध में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। उसने कुछ नहीं देखा वह भागचंद

को नहीं जानती है ना ही पहचानती है। अतः प्रकरण का उक्त महत्वपूर्ण गवाह भी अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में अपने मुख्य परीक्षण में किए गए कथनों अडिग नहीं रहा है तथा उक्त गवाह की मुख्य परीक्षा अकाटय नहीं रहीं है।

30. साथ ही प्रकरण का अन्य महत्वपूर्ण गवाह पीडब्ल्यू 8 भंवानी सिंह, जो कि प्रकरण मजरूब है, ने न्यायालय के समक्ष हुए अपने बयानों में कथन किया है कि 26.06.2014 को रात के लगभग दस ग्यारह बजे की रामदेव कॉलोनी सरदार सिंह की ढाणी रोड की बात है। उस समय गर्मियो का समय था हम लोग घर के अंदर सो रहे थे। हमारे मकान के अंदर की बात है। मेरे पिता शंकर सिंह के साथ भागचंद और तीन चार व्यक्ति थे, और कौन व्यक्ति थे उनके नाम मुझे पता नहीं है। यह सभी व्यक्ति मेरे पिता व मेरे परिवार के साथ मारपीट कर रहे थे। इन्होंने मेरी माताजी गेंद कंवर के कपडे फाडे थे। भागचंद व उसके साथ वालों ने कपडे फाडे थे। इन्होंने मेरे साथ भी मारपीट की थी। पुलिस ने मेडिकल करवाया था जो प्रदर्श पी 04 है मेरे अंगुली व कोहनी पर लगी थी। ओमेन्द्र, प्रभु रेगर, मांगुसिंह, चांद कंवर ने बीचबचाव कराया। बीचबचाव में ओमेन्द्र सिंह जी के चोट आई थी। फिर भागचंद वगैरह धमकी देकर भाग गए। भागचंद के अलावा और कौन था मैं उनके सामने आने पर उन्हें नहीं पहचान सकता क्योंकि काफी समय पहले की बात हो गई। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जिरह किये जाने पर गवाह कथन करता है कि उसे घटना के बार में केाई जानकारी नहीं है। वह मौके पर नहीं था। वह भागचंद को नहीं जानता हैं। उसके थाने पर कोई बयान नहीं हुए थे।

31. इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहान की साक्ष्य से अभियोजन पक्ष यह संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 26.06.2014 को समय रात्रि करीब 10:00 बजे स्थान रामदेव कोलोनी स्थित परिवादिया के निवास स्थान में मारपीट करने के सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादिया श्रीमती गेंद कंवर व उसके परिवार के अन्य सदस्यों के साथ स्वेच्छया कुदाला से मारपीट कर उनके बदन पर साधारण उपहतियां कारित की, परिवादिया श्रीमती गेंद देवी की लज्ञा भंग करने के सामान्य आशय के अग्रसरण में उसके साथ आपराधिक बल का प्रयोग करते हुए उसकी लज्ञा भंग की, परिवादिया श्रीमती गेंद देवी के रिहायशी मकान में मारपीट करने की तैयारी के पश्चात गृह अतिचार किया हो। अतः अभियुक्त धारा 323/34, 354/34, 452, भारतीय दण्ड संहिता के तहत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किए जाने योग्य है।

आदेश

32. परिणामस्वरूप, अभियुक्त **भागचंद** पुत्र छोटूलाल, निवासी खण्डाच, पुलिस थाना बांदरसिंदरी, जिला अजमेर को धारा 323/34, 354/34, 452, भारतीय दण्ड संहिता के आरोपित अपराध में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित

किया जाता है।

अभियुक्त को आदेश दिया जाता है कि वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437–ए के प्रावधानों के तहत 6 माह की अवधि के लिये 5,000/– रूपये के जमानत मुचलके पेश कर तस्दीक करावे।

अभियुक्त के 437 ए सीआरपीसी के तहत प्रस्तुत जमानत मुचलकों से भिन्न हाजरी बाबत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते है।

प्रकरण में अभियुक्त रामसिंह मफरूर है तथा पत्रावली पर लाल स्याही से पत्रावली का कोई भी भाग जाया नहीं किये जाने का नोट अंकित किया जावें।

(हेमलता भारती)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
संख्या–02, किशनगढ़, अजमेर।

33. निर्णय आज दिनांक 28 मार्च, 2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं अभिघोषित किया गया।

(हेमलता भारती)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
संख्या–02, किशनगढ़, अजमेर।